मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक : 190/2017 /चार (भ0 नियंत्रण) दिनांक : 17/2/2017

श्री/श्रीमती/मैसर्स मै0 अंसल हाउसिंग एण्ड कन्स0 लि0 द्वारा श्री राजेन्द्र शर्मा,
निवासी–20 यूजीएफ 15 इन्द्रप्रकाश,
21 बाराह खम्भा रोड, नई दिल्ली।

5521

आपके पत्र दिनांक 30.08.2016 मानचित्र सं0 13/16 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित तलपट भवन निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम रोशनपुर डौरली, मेरठ भूखण्ड/भवन/खसरा सं0 24, 27, 28, 32 व 33 पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जानी है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्र की सवीकृति से किसीभी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–26 के आधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपयुक्त नही होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम–21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगें।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेगें।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
12. उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या–21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 10.11.2016 के अनुपालन हेतु दी गई शर्तें, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, का पालन करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

प्रतिलिपि :– अवर अभियन्ता प्रवर्तन जोन–बी को प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 01/17 / मानचित्र अनु0 (जोन बी)/2017 तलपट | दिनांक : 01/7/17

मैसर्स अंसल हाउसिंग एण्ड़ कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0,
निवासी–15, यू.जी.एफ., इन्द्र प्रकाश,
बारह खमभा रोड़, नई दिल्ली।

आपके पत्र दिनांक **31.03.2017** तलपट मानचित्र सं0–**01/17** के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित **आवासीय भू–विन्यास** निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/**ग्राम रोशनपुर डौरली, मेरठ** के खसरा संख्या 40, 41/1, 42/1, 43 व 44 पर निम्नलिखित शर्तो के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगां
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहॉ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप–नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने का बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

10 प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेंगे।

11 उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

12 मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली में योजित अप्लीकेशन संख्या 21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 10.11.16 के क्रम में संलग्नक का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

संलग्नः स्वीकृत मानचित्र एवं एन0जी0टी0 की शर्तो की प्रति।
प्रतिलिपिः– जोनल अधिकारी को प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।